तस्करी पीड़ितों के लिए उपलब्ध सेवाएं

DOL संगठनों या सामुदायिक संगठनों को विभिन्न सेवाएं या रेफ़रल प्रदान करके, आव्रजन की स्थिति की परवाह किए बिना मानव तस्करी के पीड़ितों की मदद कर सकता है।

उपलब्ध सेवाओं में शामिल हैं:

- आपातकालीन अस्थायी आवास
- खाना और अन्य बुनियादी ज़रूरतें
- अदत्त मज़दूरी की वसूली
- कार्य कौशल प्रशिक्षण और प्लेसमेंट
- आव्रजन और कानूनी सहायता
- संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थायी निवास स्थापित करने में सहायता
- मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य सेवाएं
- काउंसिलिंग
- संघीय और राज्य के सार्वजनिक लाभों तक पहुंचने में सहायता
- अनुवाद और व्याख्या
- तस्कर के खिलाफ़ दीवानी और/या फौजदारी कार्रवाई

मानव तस्करी के संदिग्ध मामलों की रिपोर्ट करने के लिए संपर्क करें:

न्यूयॉर्क राज्य श्रम विभाग
अनुपालन और शिक्षा प्रभाग (पहले अप्रवासी नीतियों और मामलों के प्रभाग के रूप में जाना जाता था)

टेलीफ़ोन: 877-466-9757
ईमेल: trafficking@labor.ny.gov
वेबसाइट: www.labor.ny.gov/immigrants

राष्ट्रीय मानव तस्करी
संसाधन केंद्र

टेलीफ़ोन: 888-373-7888

अतिरिक्त संसाधन: पोलारिस प्रोजेक्ट:
www.polarisproject.org

आपातकालीन स्थिति में, तुरंत 911 पर कॉल करें।

WE ARE YOUR DOL

NEW YORK STATE | Department of Labor

@nyslabor | www.labor.ny.gov
1-888-469-7365

न्यूयॉर्क राज्य श्रम विभाग एक समान अवसर देने वाला नियोक्ता/कार्यक्रम है। TTY/TDD 711 या 1-800-662-1220 (अंग्रेज़ी) / 1-877-662-4886 पर कॉल करने पर दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सहायक सहायता और सेवाएं अनुरोध करने पर मुफ़्त में उपलब्ध हैं।

P744 H (02/24)

बंधुआ मज़दूरी एक अपराध है

मानव तस्करी के पीड़ितों की सहायता

WE ARE YOUR DOL

NEW YORK STATE | Department of Labor

बंधुआ मज़दूरी क्या है?

बंधुआ मज़दूरी, जिसे "मानव तस्करी" भी कहा जाता है, एक गंभीर अपराध है। जिन लोगों की तस्करी की जाती है, हो सकता है कि उन्हें एहसास न हो कि उनके साथ जो हो रहा है वह अवैध है और इसके लिए मदद उपलब्ध है। **श्रम तस्करी तब होती है जब कोई व्यक्ति अन्य किसी पर उसकी इच्छा के विरुद्ध काम करने के लिए बल, धोखाधड़ी या जबरदस्ती का इस्तेमाल करता है।**

बल: किसी मज़दूर या उनके परिवार को शारीरिक हिंसा या वास्तविक शारीरिक हिंसा की धमकी।

धोखाधड़ी: कोई झूठा वादा जिसे पूरा करने का तस्कर का कोई इरादा न हो, जैसे कि ग्रीन कार्ड या धन का वादा करना।

जबरदस्ती: किसी को काम करने के लिए मज़बूर करने के लिए दी गई धमकी, जैसे कि आव्रजन या पुलिस को कॉल करने की धमकी और किसी अपराध का झूठा आरोप लगाना या किसी व्यक्ति को यह झूठ बोलना कि एक ऋण चुकाने के लिए उसे काम करना होगा।

तस्कर **डर, धमकी, दुर्व्यवहार और मनोवैज्ञानिक तरकीबें** अपनाकर अपने शिकार को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं जैसे:

भावनात्मक दुर्व्यवहार: मज़दूर को दूसरों के सामने अपमानित करना, नाम रखना, पीड़ित को दोषी महसूस कराना और उन्हें किसी बात के लिए दोषी ठहराना। तस्कर लिंग, उम्र या राष्ट्रीयता के आधार पर अपने विशेषाधिकार की धौंस जमाकार खुद के ज़्यादा श्रेष्ठ होने का दावा भी कर सकते हैं। इसके विपरीत, तस्कर मज़दूरों की प्रशंसा भी कर सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं कि वे उन पर भरोसा करते हैं, या मज़दूरों को बताते हैं कि वे ही केवल एकमात्र हैं जिनको उनकी परवाह है या जो उन्हें नौकरी देंगे और इसलिए उन्हें तस्कर का एहसानमंद होना चाहिए।

अलगाव और नियंत्रण: तस्कर मज़दूर को कह सकते हैं कि उन्हें किसी और से बात नहीं करनी चाहिए, वे लगातार मज़दूर पर फ़ोन या कैमरे से निगरानी रखते हैं, या उन्हें हथियारों का डर दिखाते हैं और डराने-धमकाने के लिए कानून का डर दिखाते हैं। तस्कर नाममात्र, बहुत कम भुगतान करके या बिल्कुल भी भुगतान न करके निर्भरता पैदा करने के लिए पैसे पर मज़दूर की पहुंच को सीमित कर सकते हैं।

संभावित तस्करी की पहचान करना

मानव तस्करी कई उद्योगों में हो सकती है, जिनमें शामिल हैं:

- कारखाने, जैसे कपड़ा कारखाने
- खेत या भूनिर्माण
- निर्माण कार्य
- निजी घर (उदाहरण के लिए, आयाएं और नौकर-नौकरानियां)
- रेस्टोरेंट, बार, होटल या अन्य सेवा उद्योग
- स्ट्रिप क्लब, सड़क पर वेश्यावृत्ति, नकली मसाज पार्लर, एस्कॉर्ट सर्विसेज, वेश्यालय आदि।

कोई भी मानव तस्करी का शिकार हो सकता है अगर:

- वह स्वतंत्र रूप से कहीं आवाजाही नहीं कर पाए
- वह अपने स्वयं के पहचान दस्तावेज़ों या धन पर नियंत्रण नहीं रख पाए
- उसे कुछ भी भुगतान न किया जाता हो या बहुत कम भुगतान किया जाता हो
- उससे कई-कई घंटों तक असामान्य तरीके से काम कराया जाता हो
- उस पर बहुत अधिक या लगातार बढ़ने वाला कर्ज हो
- उसे असामान्य रूप से उच्च सुरक्षा या कई कैमरों वाले स्थान पर रहकर काम कराया जाता हो
- वह असामान्य रूप से चिंतित, भयभीत, विनम्र, उदास, नर्वस या तनावग्रस्त है
- उसे अस्पष्ट चोटें आई हों या उसमें लंबी या इलाज न की गई बीमारी के लक्षण दिखाई देते हों
- उसमें शारीरिक या यौन शोषण, शारीरिक सख्ती, कारावास या यातना के लक्षण दिखाई देते हों

न्यूयॉर्क राज्य श्रम विभाग की मानव तस्करी के पीड़ितों की सहायता में भूमिका

श्रम विभाग के पास शिकायतें लेने और न्यूयॉर्क श्रम कानून के उल्लंघनों की जांच करने का अधिकार है, जैसे न्यूनतम मज़दूरी, ओवरटाइम, अदत्त मज़दूरी और अवैध कटौती। श्रम विभाग के जांचकर्ताओं के पास व्यवसाय के स्थान में प्रवेश करके जांच करने, मज़दूरों का साक्षात्कार लेने और पेरोल रिकॉर्ड की समीक्षा करने का अधिकार होता है। श्रम विभाग के कर्मचारियों को संभावित तस्करी की पहचान करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। आप्रवासी नीतियों और मामलों का विभाग, श्रम विभाग के मानव तस्करी विरोधी प्रयासों को सहयोग देता है, जिसमें शामिल हैं:

- मानव तस्करी कार्यक्रम को NY प्रतिसाद देने के लिए रेफ़रल प्रदान करना
- मानव तस्करी सहित कुछ ऐसे ही गंभीर अपराधों के पीड़ितों के लिए U या T वीज़ा का प्रमाणपत्र प्रदान करना
- समुदाय और व्यवसायों की आउटरीच प्रस्तुतियों के माध्यम से सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाना

अगर आपकी हमारी किसी भी सेवा में दिलचस्पी है, तो कृपया अनुपालन और शिक्षा प्रभाग (पहले आप्रवासी नीतियों और मामलों के प्रभाग के रूप में जाना जाता था) को **877-466-9757** पर कॉल करें या **trafficking@labor.ny.gov** पर ईमेल करें।